11-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी
गई बहस पर मनन किया गया
पत्रावली का अवलोकन किया गया और
अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया
जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखाया जाकर अन्तिम डिक्री जारी
की गई निर्णय खुले न्यायालय मे
सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली
किया गया पत्रावली नम्बर से कम
की जाकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 075/2019

1 सुरजीत कुमार } पिसरान श्री सत्यदेव पुत्र स्व. श्री हरीराम जाति ब्राहमण निवासीगण
2 नौरगलाल } मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 राजवीर पुत्र श्री सत्यदेव जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर–5, हाऊसिंग बोर्ड मकान नम्बर 7/74 हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सत्यदेव पुत्र स्व. श्री हरीराम, जाति ब्राहमण, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 चन्द्रकला (पुत्री श्री सत्यदेव पुत्र स्व. श्री हरीराम) धर्मपत्नि श्री श्योप्रकाश, जाति ब्राहमण, निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, (ए.डी.बी.)शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़, जरिये शाखा प्रबन्धक। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कैलाश कुमार धामू अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री अशोक कुमार भादू अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 11.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के दादा स्व. श्री हरीराम पुत्र गोविन्दराम की चक 7 जे.आर.के. के पत्थर नम्बर 90/258 व 90/259 में कुल 25 बीघा मय गैरमुमकिन व चक 5 के.एन.जे. के खाता संख्या 79 के पत्थर नम्बर 109/268 व 110/268 में कुल 3.795 हैक्टर व चक 2 एस.टी.जी. के खाता संख्या 60 के पत्थर नम्बर 102/256 व 101/256 व 102/257 व 101/257 में 2.530 हैक्टर मय गैरमुमकिन कृषि भूमि थी जो उनके देहान्त उपरान्त उनकी उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व उनके दोनों भाईयों को बहिस्सा बराबर औद हुई। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि पैतृक व सहदायिक सम्पति है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का उक्त वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। प्रमाणित प्रतिलिपियां जमाबन्दियां संलग्न है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उक्त वर्णित भूमि का घराघरू बंटवारा हो चुका है तथा उक्त घराघरू बंटवारा के मुताबिक वादीगण संख्या 1 व 3 को चक 7 जे.आर.के. में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.टी.जी. का 0.843 हैक्टर व हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 चक 5 के.एन.जे. उनके नाम दर्ज 1.265 हैक्टर हिस्सा मिला। उक्त वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मुताबिक घराघरू बंटवारा आधिपत्य व धारण में है तथा वे प्रश्नगत भूमि घरूबंटवारा अनुसार काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादिया संख्या 2 अपने ससुराल में निवास कर रही है जिसके विवाह आदि सामाजिक संस्कारों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से काफी मात्रा में दान–दहेज दिया है। प्रतिवादिया संख्या 2 ने प्रश्नगत भूमि में अपने हक व हिस्सा की समस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को दे दी है तथा अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से तर्क कर दिया है।

लगातार 2

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत भूमि स्वयं के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पूर्व में हो चुके घराघरू बंटवारा के विपरीत आचरण कर रहा है। जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 को यह भलीभांति पता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत पूर्व में ही घराघरू बंटवारा हो चुका है जिसके मुताबिक वे काबिज चले आ रहे है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से वादीगण के अधिकारों पर धुंध छा गई है तथा वादीगण के साम्पितक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा हैं। इन परिस्थितियों में वादीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार हैं कि वादीगण संख्या 1 व 3 चक 7 जे.आर.के. के खाता संख्या 51/47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.टी.जी. के खाता संख्या 144/23 में दर्ज 1/3 हिस्सा अर्थात 0.843 हैक्टर के खातेदार हैं तथा इसी कदर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के वादीगण अधिकारी हैं।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रश्नगत भूमि का भू–धारक है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से प्रतिवादी संख्या 1 ने चक 2 एस.टी.जी. की उक्त वर्णित भूमि पर ऋण सुविधा ली हुई है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रतिवादिया संख्या 2 के खिलाफ वादीगण का कोई अनुतोष नहीं है पर चूंकि वह प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा वादीगण की बहिन है इसलिए उसे तरतीबी प्रतिवादिया संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया है जिससे दावा में कोई नुक्स ना रहे।

वादीगण नें अर्सा एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से आग्रह किया कि वह वादीगण संख्या 1 व 3 को चक 7 जे.आर.के. के खाता संख्या 51/47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.टी.जी. के खाता संख्या 144/23 में दर्ज 1/3 हिस्सा अर्थात 0.843 हैक्टर के खातेदार होना स्वीकार कर ले तथा अपना नाम कलमजन करवा लेवे तो वह इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

वाद पत्र वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो 2/– रूपया के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व हर प्रकार से अन्दर मियाद है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 7 जे.आर.के. के खाता संख्या 51/47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा के वादीगण संख्या 1 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं व चक 2 एस.टी.जी. के खाता संख्या 144/23 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा अर्थात 0.843 हैक्टर का वादी संख्या 2 खातेदार हैं तथा इसी कदर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के वादीगण अधिकारी हैं तथा मुताबिक घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त वर्णित खातों से कलमजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई सहायता जो विधि सम्मत एवं न्यायसंगत हो, वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.06.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार 3

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त शीर्षक के वाद पत्र में मिकरान/वादीगण व मिकरान/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा मिकरान के नजदीकी रिश्तेदारों ने समझाईश कर दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करवा दिया है तथा मुताबिक राजीनामा निम्नलिखित तथ्यों की रोशनी में यह वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने में सहमत है :–

1. मुताबिक राजीनामा मिकरान/वादीगण संख्या 1 व 3 को चक 7 जे.आर.के में मिकर/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा बहिस्सा बराबर दिये जाने में हम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सहमत है व मिकर/वादी संख्या 2 को मिकर/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.टी.जी. का 0.843 हैक्टर दिये जाने में हम मिकरान–प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सहमत है तथा मिकर/प्रतिवादी संख्या 1 को चक 5 के.एन.जे. उनके नाम दर्ज 1.265 हैक्टर हिस्सा मिला है। मिकरा–प्रतिवादिया संख्या 2 प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती।
2. मुताबिक राजीनामा हम मिकरान वादी संख्या 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 चक 7 जे.आर.के. के खाता संख्या 51/47 में मिकर/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा के मिकरान/वादीगण संख्या 1 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार होना स्वीकार करते हैं व चक 2 एस.टी.जी. के खाता संख्या 144/23 में मिकर/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा अर्थात 0.843 हैक्टर का मिकर/वादी संख्या 2 खातेदार होना हम मिकरान वादीगण संख्या 1 व 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार करते हैं तथा इसी कदर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के मिकरान अधिकारी हैं।
3. मिकरान हल्फन तस्दीक करते हैं कि उक्त राजीनामा की दफा 1 ता 2 सही व दुरूस्त लिखाई है जो कि मिकरान के बताये कथनानुसार ही राजीनामा में तथ्य टंकित किये गये है। कोई तथ्य पोशीदा नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

प्रतिवादी संख्या 3 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी हैं। पारिवारिक समझौता

लगातार 4

सहायक ...
एवं उपखण्ड...
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि में वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1 चक 7 जे.आर.के. के खाता संख्या 51/47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा में वर्तमान प्रविष्टि "सत्यदेव 2.108 हिस्सा" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 सुरजीत व वादी संख्या 3 राजवीर को बहिस्सा बराबर 2.108 हिस्सा" का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2 चक 2 एस.टी.जी. के खाता संख्या 144/23 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वर्तमान प्रविष्टि "सत्यदेव पुत्र हरीराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 2 नौरगलाल पुत्र सत्यदेव" को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 075/2019

1 सुरजीत कुमार
2 नौरंगलाल } पिसरान श्री सत्यदेव पुत्र स्व. श्री हरीराम जाति ब्राहमण निवासीगण मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 राजवीर पुत्र श्री सत्यदेव जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर–5, हाऊसिंग बोर्ड मकान नम्बर 7/74 हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सत्यदेव पुत्र स्व. श्री हरीराम, जाति ब्राहमण, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 चन्द्रकला (पुत्री श्री सत्यदेव पुत्र स्व. श्री हरीराम) धर्मपत्नि श्री श्योप्रकाश, जाति ब्राहमण, निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, (ए.डी.बी.)शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़, जरिये शाखा प्रबन्धक।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 11.09.2019

वादीगण की और से श्री कैलाश कुमार धामु अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की और से श्री अशोक कुमार भादू अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 11.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि में वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1 चक 7 जे.आर.के. के खाता संख्या 51/47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.108 हिस्सा में वर्तमान प्रविष्टि "सत्यदेव 2.108 हिस्सा" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 सुरजीत व वादी संख्या 3 राजवीर को बहिस्सा बराबर 2.108 हिस्सा" का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2 चक 2 एस.टी.जी. के खाता संख्या 144/23 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वर्तमान प्रविष्टि "सत्यदेव पुत्र हरीराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 2 नौरंगलाल पुत्र सत्यदेव" को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई मुहर।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस			

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 17:31:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: